

1. MSME के उद्योग प्रोत्तियोग : कारण एवं समाधान

MSME सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्गमान में भारत के 11% लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसमें से 39.7% उद्यम सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। MSME उद्योगों का लगभग 51% भाग ग्रामीण क्षेत्र में आता है। चूंकि गांधीजी ने कहा था

" भारत की आत्मा, भारत के गाँवों में बसती है। "

और उस आत्मा को समर्थता प्रदान करता MSME क्षेत्र। ~~क्योंकि~~ MSME क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत का महत्वकांक्षी सम्पन्न स्वयं साकार करने की क्षमता रखता है। न जाने कितने उदाहरण हैं कि किसी निचले वर्ग के व्यक्ति ने उद्यम प्रारंभ किया और वह सम्पन्नता की ओर अग्रसर हो गया। ऐसा ही एक उदाहरण है पिपरिया के पास के गाँव का, जहाँ पर रमेश कहर ने 2017 में कुपड़े की फैब्री बनाने का उद्योग प्रारंभ किया। उसके लिये उसे लोन बैंक द्वारा दिया गया, जो कि सरल व ~~सस्ती~~ मुक्त था। रमेश के पास ज्ञान आसपास के क्षेत्र के बड़े

साउथ है व वह जालाना 70-75 लाख का
करोडर उद्योग के माध्यम से कर पा रहा
है, बैंक की किरत चुकाने के बाद भी उसका
मुनाफा काफी अच्छा है। रमेश अपनी कहानी
कुछ इस तरह कहता है कि इस उद्योग ने
एक गरीब मरणासन परिवार में जान फूंक दी।
उसे ने समता दी कि वह न केवल स्वयं
बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान
कर सके। वही एक कहानी असके उलट
भी है जहाँ गिरधारी को बैंक से कुछ
सहायता नहीं मिली।

समान के विभिन्न वर्गों तक MSMEs की पहुँच

वर्तमान में देश के MSMEs क्षेत्र के 66%
उद्यम समान के निचले वर्ग से जुड़े लोगों द्वारा
संचालित किये जाते हैं। इनमें से 12.5% अनुसूचित
जाति, 4.1% अनुसूचित जनजाति और 19.7% अन्य
पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।

MSME भारत में आर्थिक असमानता
को कम करने में एक अग्रणी उपाय सिद्ध
हो सकता है।

चुनौतियाँ

सामाजिक व भौगोलिक चुनौतियाँ : स्त्री क्षेत्रों के MSMEs के कर्मचारियों में लगभग 80% पुरुष और मात्र 20% महिलाएँ हैं। जो महिलाओं की कम भागीदारी को साफ दर्शाता है। ~~महिलाओं की कम भागीदारी कारण पहला तो सामाजिक है जब महिला को काम करने पर ही नहीं दिया जाता है और दूसरा लैंगिक द्वारा पूँजी मिलने में कठिनाई।~~

भौगोलिक चुनौतियों को हम इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि भारत का लगभग 50% से अधिक MSME क्षेत्र 7 राज्यों में ही है। ~~अर्थात् अन्य राज्यों में इसकी भागीदारी कम है। ये राज्य~~ मुख्यतः वे राज्य हैं जहाँ अन्य उद्योगों व राजगारों की भी कमी है। ~~मध्य प्रदेश भी इन 7 राज्यों में ही शामिल नहीं है। जो कि समावेशी दृष्टि से विचारणीय है।~~

संरक्षण का अभाव : देश में सक्रिय MSME सामान्यतः बहुत ही गैर स्तर पर कार्य करते हैं, जिसके कारण इनमें से अधिकतर को किसी प्रकार का पंजीकरण नहीं किया गया है।

अधिकतर MSME, वस्तु और सेवा कर (GST) की पहुँच से बाहर हैं और वे किसी प्रकार का खाता बनाने, कर देने या अन्य नियमों का पालन करने का अधिकार में अधिक सक्रिय नहीं हैं।

इस प्रक्रिया में उनकी कुछ वधत तो होती है परंतु संकट की स्थिति में किसी ठोस माँके के अभाव में ऐसे उद्यमों को सहामता पहुँचा पाना सरकार के बिने की एक चुनौती बन जाती है। उदाहरण के बिने वर्तमान आर्थिक संकट के बिने कुछ विकसित देशों की सरकारों ने छोटे उद्यमों में अजदरी सब्सिडी उपलब्ध कराई। यह तभी संभव हो सके जब उद्यमों के विश्वस्तीय माँके सरकारों के पास थे।

आर्थिक चुनौतियों : MSME क्षेत्र में वित्तपोषण की कमी। वर्ष 2018 में जारी "द्वि-वर्षीय क्षेत्र विकास योजना" की एक विशेष के अनुसार, MSME क्षेत्र को औद्योगिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा MSME की कुल आवश्यकता का एक तिहाई (लगभग 11 लाख करोड़ रुपए) से कम ही ग्रहण उपलब्ध कराया जाता है।

अर्थात् MSMEs को अधिकतर ग्रहण और औद्योगिक स्रोतों से प्राप्त होता है, यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा MSME क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम बहुत ही सीमित हैं।

कुशलता में क्लिप्त होना MSMEs के लिये दूसरी बड़ी चुनौती है। इसे नए ग्रहण वेड बन में शामिल हो जाते हैं। इस जिससे बैंक को भी धार्य उठाना पड़ता है।

COVID-19 महाकाली के कारण भी MSME क्षेत्र में अभूतपूर्व गिरावट आई है।

सुगौतियों के समाधान :

समावेशी नीति : MSME क्षेत्र में महिलाओं
वह अन्य निचले वर्गों को
समान रूप से प्रोत्साहन
देने के लिए नीति निर्माण
किया जा सकता है।

राज्यों को विशेष रूप से कम
निवेश की ओर ध्यान देकर, राज्य में MSME
उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए।


विश्वसनीय सौकोंडों का उपलब्धता : एक प्रयुक्त
प्रणाली का विस्तार हो जो
MSME से जुड़े उद्यमियों की
सुदृढ़ व विश्वसनीय जानकारी
उपलब्ध करा सके। जिसमें
पंजीयन व GST का होना
अनिवार्य किया जाये।

मासिक समाधान : प्रत्यक्ष बैंकिंग प्रणाली से पुस्तक
जोड़कर, RBI, MSME के
में तरबती की उकी को इर
करन सकती हैं।

सूना की उपलब्धता : इस विषय में
भारत सरकार को डॉ. मन्मथ
निसारा की आवश्यकता है।
सरकार द्वारा विभिन्न सविस्ती योजना
व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा
सकते हैं।

वर्तमान में COVID-19 के समय में, सरकार
पर में कटौती, रिफंड प्रक्रिया में तेजी के साथ
विभिन्न योजनाओं को जैसे - पीएम डिस्तान, पतन-युक्त
योजना कादि से माहयम. से ग्रामीण क्षेत्रों के
तरबता को MSME इसादी की गंगा में
सृष्टि करे MSME को सहायता पहुँचा सकती
हैं।

MSME क्षेत्र अधिक्य के भारत को
 धाकार है सकल है। भारत में रोजगार की
 कमी को, रोजगार रूप से ही दूर किया
 जा सकता है। वर्तमान संस्थानों से विश्व के
 निवेशा प्रमोकरों के बरलात मायेंगे।
 भारत के पास यह एक रवर्णम अपसर है
 जन वट निषेको को आकर्षित कर कर
 सकल है। विश्व की सापूती कर सकती है।
 लोकल फार लोकल जैसे जन संदोलन
 इस बात के सूचक हैं कि जन भारत
 आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो
 चुका है और MSME यह दिशा MSME
 को और ही जाती है। MSME में हाल
 का निषेरा, अधिक्य के भारत निर्माण
 करेगा।



सांसारिक सुधारक कबीरदास

"पावन पुजे हरि मिले तो मैं पुजुं पधार ।
भाते तो चखी भली जो पीस साए अंतर ।"

कबीर दास जी 15 वी शताब्दी के अविष्कारक
कवि, विचारक व समाज सुधारक थे । उन्होने
उपनी रचनाओं के माध्यम से समाज
में व्याप्त व्याप्त बुराइयों की बिना किसी
डर के अलोचना की । उनकी कौली व्यंग्यात्मक
के साथ-साथ गंभीर थी । जो समाज
के बुद्धिजीवियों को झुं ही नहीं, साम जन
के लिये सबल व प्रत्यक्ष थीं ।

कबीर दर्शन के मुख्य तत्व थे : प्रेम, ईश्वर
(निबाकार), गुरु,
भावित व आत्मन ।

कबीर दास जी सांसारिक जीवन में रहे
और संसार को यह बताने की कोशिश की,
कि सांसारिक जीवन जीते हुये भी आत्म
शांति, व संतुष्टि पाए जा सकती है ।

कबीर एक समाज सुधारक :

कबीर दास ने, हर उस कर्म कृत्य, धारणा व रीति की आलोचना की जो समाज में मङ्गल प्राप्त थी और समाज को स्वस्थ बनाती जा रही थी। कबीर दास जी समाज सुधार बहु मायामी थे। जैसे :

जाति हथा का विरोध : कबीर दास जी स्वयं एक जुलाहे थे तथा वे हर व्यक्ति से उतने ही सौकर से मिलते जितने की बह किसी विशिष्ट व्यक्ति से।

महिलाओं के प्रति आदर व उन्नत का प्रयास :

रुदीपादी विचारों ने यह भ्रान्ति फैला रखी थी कि नारी शोक नहीं प्राप्त कर सकती, उसका जन्म पुरुष की सहायता के ल सेवा के लिए होता है परन्तु कबीर दास जी ने ऐसे तर्कों को दिके कि महिला पुरुष में मात्र भाव्यात्मिक अंतर पर कोई अंतर नहीं है।

पुरीतियों का विरोध: कबीर निकर निराकार
कर्म में श्रद्धा रखते थे।
15 वीं शताब्दी सातह अने धर्मियों
की संख्या यहाँ तक बढ़ गई कि
वे परमर को मानव में अधिक
महत्व देने लगे। धर्म में पुरातियों
का बोधना या जैसे बलि पूजा,
संध्याविश्रवास आदि।
ऐसा नहीं कि कबीर ने किसी
एक धर्म पर धार किया, कबीर
ने हर धर्म की पुरीतियों का
समान रूप से विवरण व विरोध
किया।

भक्ति व कर्म योग का प्रचार: कबीर दास जी को
संसार के अकृतत्व को स्वीकारा
और कर्म योग को सर्वोपरी
माना। ईश्वर की प्राप्ति हेतु
ज्ञान व वैराग्य की सपेक्षा भक्ति
पर महत्व दिया। जिससे कर्मकांडों
आदि जैसे आडंबर समाप्त हो
सके।

हिन्दु मुस्लिम एकता : कबीर दास जी ने कभी स्वयं
को किसी धर्म से नहीं
जोना वे दोनों धर्मों की
पुरीतियों का मालोचना करते
थे तो दोनों धर्मों की
सच्ची चीजों का अनुकरण भी
करते थे। यही कारण है कि
मान्यता की हिन्दू और मुस्लिम
दोनों कबीर दास जी के सादरों
को मानते हैं व सादर करते
हैं।

साधारण जीवन शैली को महत्व देना : कबीर दास जी द्वारा
दर्शा गया है कि इस बात को
जानते थे कि जैसे-जैसे
उपभोगता बढ़े बढ़ेगा। मनुष्य
मनुष्यों में असंतोष भी
बढ़ेगा। कबीर दास जी 15वीं
शताब्दी में ही हमें सुलभ
दे गये।

कबीर दर्शन व कबीर साणी की प्रसंगिकता
समय से बढ़ी नहीं है। अपितु जितनी वह
तब प्रसंगिक थी उससे अधिक भाग है।
समाज में वही क्रियाएँ मौजूद हैं जो कल
इसी वाले कबीर की व्यापक रूप में।
भारत एक धर्म निपेक्ष, भाईचारे वाला देश
है। भारत की अखण्डता व एकता कबीर
दर्शन में समाहित है।

"माला फेरत युग भ्रमा, फिरा न मन का फेर।
कर का मनका डार दे, मनका मन का फेर ॥"

(11)

इसकात खोला पूरा कोला
योजना करता

मीडिया

मीडिया का जैसा ही नाम माता
है मनु में एक नकारात्मक इति उभरती है
मीडिया का काम तो जानकारी फैलाना है फिर
अपना इस काम में कैसे नकारात्मकता
सा सकती है। जी हाँ, मीडिया के नाम से
नकारात्मकता माती है क्योंकि मीडिया साजकल
मेह जानकारी विस्तार का माध्यम न हो
कर, एक मनोवृत्ति निर्माता बन गया है।
बिना किसी प्रमाण के व्युत्पन्न चैनलस पर
निर्णय लिये जाते हैं और इसे देखकर या
सुनकर काम चलता अपनी राय बनाती है।
अपने में चलता राय नहीं बनाती, उसपर
राय थोप दी जाती है। हाँकि ज सारे मीडिया
माध्यम जैसा या जहाँ कि सिर्फ जैसा
नहीं करते, जानकारियों का माध्यम मात्र भी
मीडिया ही है चाहे वो सोशल मीडिया हो या
सर्वकार।

मीडिया के कार्य : मीडिया लोकतांत्रिक संस्था के रूप में कार्य करता है। समाज के विकास के लिए न्यायपूर्णता के तंत्रों पर नजर रखता है। जनता के विभिन्न वर्गों के हितों को धुंधलाने व जनता से उनकी राय प्रतिनिधियों तक पहुंचाने।

मीडिया के प्रकार : वर्तमान में हम जानकारी की दुनिया में रह रहे हैं। जहाँ ज्यादातर जानकारी सिंगल क्लिक पर है। मीडिया के प्रकार जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि।

मीडिया की शक्त : मीडिया की शक्ति समाज में व्यापक व्याप्त है। दुर्भाव व निष्पक्षता के तंत्रों को पर मर्यादा को उल्लंघन करने में हो सकती है।

सरकारी योजनाओं को लक्षार्थी तब
पहुँचाने में, योजनाओं का सही
क्रियान्वयन ना होने पर सूचना
आधिकारों को पहुँचाने में।
वहीव, सा बोधित, निचले वर्ग की
सावधान बनने में। लोकतंत्र को
पारदर्शी बनाने में मदद।

मीडिया की अलोचना : वर्तमान में मीडिया जानकारी
से ज्यादा "प्रयोग" के लक्ष्य
रही है। हम आगे दिन देखते
हैं सोशल मीडिया के माध्यम
से एक बालक का न्यून
निकली और माँव सिंचित
जैसी घटना घट गयी।

मीडिया हाल जैसे अनैतिक
कार्य करने से भी मीडिया नहीं
करती। "टीकार पी" को बताने
के बिना बिना पुष्टि न्यून
प्रकाशित कर दी जाती है।

मीडिया में नैतिकता की आवश्यकता : मीडिया जानकारी का घर-घर माध्यम है। मीडिया में नैतिकता वर्तमान में भारतीय आवश्यक है। देश में बाहरी व न्याय की रक्षा के लिए मीडिया में नैतिकता की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

उपर्युक्त : मीडिया के क्षेत्र में नये सत्यनिष्ठ अभिचारि भी कार्य कर रहे हैं। जबरन है तो एक निश्चित पैमाना तय करके उसे इसमें मीडिया जानकारी को फैलाये जो कि पूरे पृष्ठ से प्रमाणित हो। इससे मीडिया को भी दृष्टि दुरुस्त होगी व प्रमाणिकता बढ़ेगी। लोकतंत्र के चारों स्तंभों का सुदृढ़ होना आवश्यक है।